न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 360 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– प्रदीप तुनगारिया पुत्र कुम्भाराम जाति जटिया निवासी चोयलो की ढीमडी, बिलाडा 2– उदाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी बिरावास, तहसील बिलाडा 3– सुकाराम पुत्र गुदडराम जाति मेघवाल निवासी बिरावास तहसील बिलाडा 4– डुंगरराम पुत्र राजाराम जाति मेगवाल निवासी खारीकंला तहसील जोधपुर 5– बचनाराम पुत्र पोकरराम जाति मेगवाल निवासी खारीकलां तहसील जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 21–6–18 जो उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42 / 2018 अनवान तहसीलदार जोधपुर जरिये राजस्थान सरकार बनाम रामुराम मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 5–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारीकलां तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 260 रकबा 8.17 बीघा भूमि जोधाराम पुत्र मंगलाराम, रामुराम पि0 लादुराम जाति मेगवाल सा0 देह एवं अन्य खातेदारो की सह खातेदारी की थी । अपीलांट ने उक्त भूमि मे से 0.17 बीघा भूमि पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज से खरीद कर ली थी तथा अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन संख्या 560 के जरिये दर्ज हो चुका था तथा उक्त खरीदसुदा भूमि मे से कोई रास्ता नही चलता है । परंतु तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 5–3–2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम खारीकलां के खसरा नंबर 260 रकबा 8.17 बीघा मे से 0.03 बीघा भूमि पर मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–6–2018 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया,

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21–6–2018 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार को किसी खातेदार के खातेदारी का रकबा कम करके उसमे रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही है इसलिए अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने धारा 131, 132 व 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज करने का निवेदन किया जबकि धारा 131, 132 व 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्ता दर्ज करने का प्रावधान नही है । रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत पृथक से प्रावधान दिये हुए है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जोधपुर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 560 की भूमि मे से पृथक–पृथक बेचान के जरिये भूमि अलग अलग खातेदारो के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांट एवं अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना केवल पूर्व के खातेदार को पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर उनकी ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 254 के खातेदार महेन्द्रसिह द्वारा तहसीलदार जोधपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15–11–17 पर तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का खारीखुर्द कां प्रार्थना पत्र मे वर्णित अनुसार जांच कर नियमानुसार रास्ता प्रकरण तैयार कर तीन दिवस मे पेश करने के निर्देश पर दिनांक 20–12–2017 को तैयार कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के परिपत्र की आड मे खसरा नंबर 254 के खातेदारो को फायदा पंहुचाने हेतु खसरा नबर 260 मे रास्ता घोषित कर दिया, जिसे सार्वजनिक कदीमी रास्ता नही समझा जा सकता है तथा व्यक्तिगत खसरा नंबर 254 के खातेदारो को खसरा नंबर 78 गै.मु.रास्ता से खसरा नंबर 254 मे जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है तो विधिवत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन कर ले सकते है परंतु अधीनस्थ न्यायायल ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रभाविल खातेदारान अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–6–2018 को निरस्त करने तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो पोषणीय नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओ के निस्तारण के लिए चलाये गये अभियान–2016 जिसमे मौके पर कदीमी से रास्ते चल रहे है परंतु वे राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज नही है, उन्हे अभियान के तहत दर्ज करने के लिए जो राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–16 मे जो निर्देश दिये गये थे, उनकी पालना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नबंर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राज.सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक/प.3/(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–16 के अनुसरण मे ग्राम खारीकलां के मात्र एक खसरा नंबर 260 रकबा 8.17 बीघा किस्म बारानी प्रथम मे मौके पर चल रहे रास्ते की भूमि 0.03 बीघा को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उक्त प्रस्ताव मे खसरा नंबर 260 के वर्तमान खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना पेश किया तथा तहसीलदार जोधपुर के प्रस्ताव के साथ पटवारी खारीखुर्द द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 20–12–2017 तथा जमाबंदी संवत् 2061–64 एवं खसरा गिरदावरी आदि दस्तावेज पेश किये । अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 25–3–18 को प्रकरण दर्ज होकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये परंतु अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस जारी होना, तामिल/अदम तामिल प्राप्त होना आदि की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही होता है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–6–18 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 मे पारित किया जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तावित खसरा नंबर 260 रकबा 8.17 बीघा भूमि मे से 0.03 बीघा भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश बिना रेकर्डेड खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया, जो एकतरफा आदेश पारित किया जाना प्रकट है ।

वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत

दस्तावेजात जिनमे खसरा नंबर 254 के खातेदार महेन्द्रसिह द्वारा तहसीलदार जोधपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमे खसरा नंबर 260 से नवीन रास्ते जो मौके पर चालू है जिसका प्रस्ताव तैयार कर मंगवाने बाबत निवेदन किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने महेन्द्र सिह के आवेदन पर पटवारी हल्का खारीखुर्द से जांच रिपोर्ट तलब करने पर पटवारी हल्का खारीखुर्द ने दिनांक 20–12–2017 को मौका फर्द तैयार की, उक्त मौका फर्द मे खसरा नंबर 260 के खातेदारान के कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नही है, अथार्त उक्त मौका रिपोर्ट भी एकतरफा तैयार की जाना प्रकट होता है तथा उक्त रिपोर्ट मात्र खसरा नंबर 254 के एक मात्र सहखातेदार महेन्द्र सिह के निवेदन पर उसके खेत मे जाने के लिए रास्ता घोषित करवाने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पटवारी हल्का से रिपार्ट तलब किया जाना प्रकट है ।

पटवारी हल्का खारीखुर्द द्वारा तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट मे नजरी नक्शा बनाया गया है जिसमे खसरा नंबर 260 के लगते खसरा नंबर 78 गै.मु.रास्ता जो आगे जाना दर्शाया हुआ है तथा उक्त गै.मु.रास्ता पंचायत के नाम दर्ज होना तथा उक्त कदीमी कदीमी रास्ता खसरा नंबर 260 से गुजर कर खसरा नंबर 254 मे जाना (डॉट–डॉट) के रूप मे दर्शाया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के परिपत्र की आड मे खसरा नंबर 254 के खातेदारो को फायदा पंहुचाने हेतु खसरा नबर 260 मे रास्ता घोषित कर दिया, जिसे सार्वजनिक कदीमी रास्ता नही माना जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण मे यदि खसरा नंबर 254 के खातेदारो को खसरा नंबर 78 गै.मु. रास्ता से उसके खातेदारी खेत मे जाने के लिए खसरा नंबर 260 मे से रास्ते की आवश्यकता है तो खसरा नंबर 254 के खातेदारान विधिवत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर विहित प्रकिया के तहत खसरा नंबर 260 मे से रास्ता प्राप्त कर सकता था परंतु खसरा नंबर 254 के खातेदार महेन्द्र सिह ने जानबूझकर ऐसा नही कर राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान मे तहसीलदार जोधपुर के माध्यम से प्रस्ताव धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये एक व्यक्ति विशेष के खातेदारी के खसरा नंबर 254 मे जाने के लिए रास्ता प्रदत्त करने बाबत जो प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रेषित किया गया था, वह प्रस्ताव राज्य सरकार की भावना के अनुरूप नही था । रास्तो की समस्याओ के समाधन के लिए राज्य सरकार ने जो अभियान चालू किया जिसकी मूल भावना यह थी कि किसी खातेदार के खातेदारी की भूमि मे मौके पर कदीमी से रास्ते चल रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही किया हुआ है, उन्हे इस अभियान के तहत निर्धारित प्रकिया के तहत खातेदारान को सुनकर राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता के रूप मे दर्ज करने की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जोधपुर के प्रस्ताव पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–6–2018 को निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर